उत्तर प्रदेश सरकार

संलग्नक-1

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में सदस्यों को नामित किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन

विज्ञप्ति संख्या– 06

दिनांक–03 मार्च 2020

1. आपदा प्रबन्ध अधिनियम 53/2005 के अध्याय 03 की धारा 17 उपधारा 01 एवं 02 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं0 469(1)/1–11–2017–17(जी)/2017 दिनांक 21 जून, 2017 के माध्यम से उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में सम्मिलित करने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

2. सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे भत्तों का सन्दाय किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।

3– सलाहकार समिति में सदस्य को नामित एवं पृथक करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

4– आवदेन–कर्ता एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन–कर्ता का बिना किसी स्पष्टीकरण के आवदेन निरस्त किए जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5– इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चस्पा करते हुए शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ **दिनांक 25 मार्च 2020** तक सील बन्द लिफाफे में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, बी–2 ब्लाक, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ–226010 के पते पर भेजें। दिनांक 25 मार्च 2020 के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए जाऐगें।

6– सदस्यों हेतु अन्य शर्तें एवं आवेदन का प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाइट–http://upsdma.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर–0522–2306882 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

7– अभ्यर्थी द्वारा बन्द लिफाफे द्वारा आवेदन पत्र भेजा जायेगा तथा लिफाफे के ऊपर सलाहकार समिति हेतु आवदेन प्रस्तुत किए जाने का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ

नोट– * आवेदन प्रारूप के साथ बायोडाटा का संलग्न होना अनिवार्य है।

* अनुभव हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र एवं विवरण पृथक रूप से संलग्न किये जा सकते हैं।

* आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ एवं आपदा प्रबन्धन का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ ही आवेदन प्रस्तुत करें।

संलग्नक-2

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में सदस्य हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. विज्ञापन सं0–
2. आवेदनकर्ता का नाम–
3. पिता/माता का नाम–
4. राष्ट्रीयता–
5. जन्म तिथि–
6. स्थायी पता–
7. पत्राचार हेतु पता–
8. मोबाइल नं0–
9. ई–मेल–

Recent Coloured Photograph

शैक्षिक योग्यता का विवरण–

क्र.स.	शैक्षिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	कुल अंक	प्राप्तांक अंक	प्रतिशत

अनुभव का विवरण–

क्र.सं.	संस्था/विभाग	कार्यकाल		अनुभव का विवरण
		कब से	कब तक	

घोषणा–

मै श्री/श्रीमती/कु0.. प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतयः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरे अभ्यर्थन को निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

संलग्नकों का विवरण–

दिनांक एवं स्थान– आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर